संख्या–147 / III(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017

पत्रावली सं0..........

अग्रीम सन्दर्भ.........

क्रं0सं0..........

पिछला सन्दर्भ..........

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 फरवरी, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विभिन्न 06 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौडी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 11.00 किमी0 + 02 सेतु तथा लागत **₹ 157.92 लाख** है, पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 157.92 लाख (रू0 एक करोड़ सत्तावन लाख बयानब्बे हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 06 कार्यों हेतु ₹ 0.60 लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

P.T.O.

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–721/XXVII/(2)/2018 दिनांक 08 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– /III(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चमोली।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौडी गढवाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण, सातवां वृत्त लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. देहरादून

प्र०सं० 149 /20 आल०/अ०/18 दि: 15-2-18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य अभि० क्षे० का० लो०नि०वि० पौडी
2. अधी० अभि० 07 वां वृत्त लो०नि०वि० गोपेश्वर
3. अधि० अभि० नि०खं० लो०नि०वि० थराली
4. अधि० अभि० आई०टी० सेल [illegible] कार्या०
5. कनि० अभि० (प्र०) / बजट [illegible] कार्या०

अधीक्षण अभियन्ता
प्राप्ति
FEB 2018
446
लो०नि०वि० गोपेश्वर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून

संख्या– 147/III(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 9 फरवरी, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकासखण्ड नारायणबगड़ के अन्तर्गत रेगांव से सिलकोटी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	20.24	0.10
2	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकास खण्ड नारायणबगड़ तक मोटर मार्ग एवं किमी0 में 30 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य।	2.00+ 30 mtr.	28.64	0.10
3	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकास खण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत हरमनी करच्यूडा मोटर मार्ग के किमी0 1 से विणागांव –झगोरगांव–एस0सी0 बस्ती हरमनी–हरमनी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	27.44	0.10
4	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	27.44	0.10
5	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकासखण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत पैठाणी से गढकोट पैदल मार्ग पर पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	100 mtr.	13.00	0.10
6	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र–थराली के विकासखण्ड थराली में थराली–पैंनगढ मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से ईरी बैशखान मेन राजस्व ग्रामों को जोडने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	41.16	0.10
	कुल	**11.00 +2 bridge**	**157.92**	**0.60**

(कुल ₹ साठ हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

अधीक्षण अभियन्ता
सातवाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर (चमोली)

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग–2
संख्या– /III (2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017
देहरादून : दिनांक/2 अप्रैल, 2018

1017/18
27/06/018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत विभिन्न 06 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति शासनादेश संख्या–147/III(2)/18–05(एम0एल0 ए0)/2017 दिनांक 09 फरवरी, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2– उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2018 के संलग्नक में निर्मित तालिका के क्रम संख्या–2 पर त्रुटिवश अंकित कार्य का नाम **"जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड नारायणबगड तक मोटर मार्ग एवं किमी0 में 30 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य"** के स्थान पर **"जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड नारायणबगड के अन्तर्गत चोपता मोटर मार्ग से ढुडवागाड तक मोटर मार्ग एवं किमी0 2 में 30 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित निर्माण कार्य"** पढा जाए।

4– शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1588/III(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौडी गढवाल।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण, सातवां वृत्त् लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, नि0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव